संख्याः 1194 / VII-2 / 49–एम0एस0एम0ई0 / 2013

प्रेषक,

किशन नाथ,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक, उद्योग,
उद्योग निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 16 जुलाई, 2013

विषयः वित्तीय वर्ष 2013–14 में सिडकुल जॉच आयोग के गठन मद में लम्बित देयताओं के भुगतान हेतु आयोजनेत्तर पक्ष अंतर्गत धनराशि स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 771 / उ0नि0 / दो–25 / वर्मा आयोग / 2012–13 दिनांकः 22 मई, 2013 के संदर्भ में तथा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 284/XXVII (1)/2013 दिनांकः 30 मार्च, 2013 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2013–14 में सिडकुल जॉच आयोग के गठन मद में आयोग के कर्मचारियों के माह अप्रैल, 2012 से 10 जुलाई, 2012 तक के वेतन तथा 30 जून, 2012 तक के टेलीफोन बिल के भुगतान हेतु आयोजनेत्तर पक्ष अंतर्गत रू0 2,17,530 / – (रू0 दो लाख सत्रह हजार पांच सौ तीस मात्र) की धनराशि संलग्न अलोटमेंट आई0डी0 S1307230077 दिनांक 13 जुलाई, 2013 के अनुसार निम्न प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त धनराशि आपके निर्वतन पर इस आशय से रखी जा रही है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्ष / आहरण वितरण अधिकारियों को स्वीकृत धनराशि का आवंटन इन्टरनेट के माध्यम से साफ्टवेयर द्वारा किया जाना सुनिश्चित करें।

3– उक्त धनराशि का व्यय दिनांक 19 जुलाई, 2012 को संपन्न बैठक के कार्यवृत्त संख्या–1546 / VII-II / 82–उद्योग / 2012 दिनांक 31 जुलाई, 2012 का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

4– वितरण अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा, और पूर्व के माह का व्यय विवरण उक्त अधिकारी द्वारा अनुवर्ती माह की 5 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा, एवं प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा, तथा नियमित रूप से यदि सरकार / शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु सक्षम स्तर को अवगत कराया जायेगा। प्रशासनिक विभाग प्रस्तर–130 के अधीन उक्त आवंटित धनराशि के व्यय का नियंत्रण करेंगे।

5– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 284/ XXVII (1)/2013 दिनांकः 30 मार्च, 2013 में इंगित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा।

6– स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2014 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा। यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस धनराशि को उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दिया जायेगा।

7– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। इस संबंध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। **व्यय मात्र उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिन मदों में धनराशि स्वीकृत की जा रही है।** यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने में बजट मैनुअल/वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का उल्लंघन होता हो। धनराशि व्यय के उपरान्त व्यय की गई धनराशि का मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र पर नियमित रूप से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

8– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–23 मुख्य लेखा शीर्षक–2851–ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग, 00–आयोजनेत्तर, 102–लघु उद्योग, 26–सिडकुल हेतु जॉच आयोग का गठन–00, 42–अन्य व्यय की मद के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्याः 284/ XXVII (1)/2013 दिनांकः 30 मार्च, 2013 में इंगित निर्देशानुसार निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– आई0डी0 S1307230077 दिनांक 13 जुलाई, 2013

भवदीय,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1195 (1)/VII-2/49–एम0एस0एम0ई0/2013,तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
3. कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ललित मोहन आर्य)
संयुक्त सचिव।